

Commonwealth senior officials meeting:

1J31. SHRI K. M. KHAN: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the "Commonwealth Senior Officials' meeting was held at Islamabad from 22nd to 24th, November, 1994;

(b) whether Senior Officials of India participated in the meeting;

(c) if so, the details thereof.

(d) whether resumption of Indo-Pak talks on bilateral relations also took place in the meeting; and

(e) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI R. L. BHATIA): (a) and (b) Sir.

(c) The Commonwealth Senior Officials Meeting (SOM) is held biennially at the level of Cabinet Secretaries/ Foreign Secretaries. The Indian delegation to the Islamabad SOM was led by the Foreign Secretary and also comprised Joint Secretary (IPA) and Joint Secretary (EW) in the Ministry of External Affairs.

(d) and (e) We had conveyed in advance to Pakistan through the diplomatic channels that in the margins of the SOM, Foreign Secretary would be available for any discussions, formally or informally, on the bilateral issues. Pakistan however, has been raising conditions and pre-conditions for any talks.

To recover Hand occupied by Pakistan

1132. SHRI KRTSHAN LAL SHAR-MA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

*a) whether it is a fact that a large chunk of Indian territory is under illegal occupation of Pakistan, commonly referred to as 'POK';

(b) what steps Government of India have taken so far and propose to take

to recover that territory from Pakistan in the light of facts that holding of negotiations under Simla Agreement to resolve the Kashmir issue have not borne any fruit; and

(c) what is Government's reaction to the press reports of 22nd November, 1994, about Pakistan's rejection of Indian Prime Minister's offer of holding talks to resolve bilateral matters and branding India as insincere in resolving the Kashmir issue and insistence of Indian High Commission officials in Islamabad that offer of talks between two countries stands?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI R. L. BHATIA): (a) Y

(b) Under the Simla Agreement of July 1972, Government of India and Government of Pakistan are committed to resolve their differences by peaceful means through bilateral negotiations.

(c) We are disappointed that a positive response is not available so far from Pakistan to our repeated offers in the recent period to hold talks, formally or informally. Pakistan has also been raising various conditions and pre-conditions for any talks. We would, however, pursue our proposal of a constructive dialogue with Pakistan at every opportunity.

Extradition of LITE Chief

1133. SHRI VIRENDRA KATARIA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have approached the Government of Sri Lanka for the extradition of the LTTE Chief V. Prabhakaran who was declared a proclaimed offender in Rajiv Gandhi assassination case; if so, when and what is the reaction of the Government of Sri Lanka in regard thereto; and

(b) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI R. L. BHATIA): (a) and (b) All relevant aspects of approaching the

मांडन फूड इंडस्ट्री के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच

1134. श्री नरेश यादव : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मांडन फूड इंडस्ट्री की कोई जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई थी और यदि हां, तो इस तरह की जांच-पड़ताल का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में पता लगाये गये घोटाले में कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त थी ;

(ख) क्या उक्त प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं और इस घोटाले में अन्तर्ग्रस्त दोषी अधिकारियों के नाम और पते क्या-क्या हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरण गोगोई) : (क) से (ग) केंद्रीय जांच ब्यूरो ने एक मामला दर्ज किया था और जांच करने के बाद कंपनी के एक अधिकारी द्वारा 5000 रु० रिश्वत लेने के अभियोग की विभागीय जांच शुरू करने की सिफारिश की थी। मामले में अनुशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

मांडन फूड इंडस्ट्री का उत्पादन

1135. श्री नरेश यादव : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मांडन फूड इंडस्ट्री ब्रेड, शीतल पेय और अन्य खाद्य सामग्रियां बनाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो देश में किन-किन स्थानों पर इनके कारखाने लगे हुये हैं, इनमें किस-किस प्रकार के उत्पादों को तैयार किया जाता है और इन कारखानों की संख्या कितनी है ;

(ग) उनकी क्षमता कितनी है और पिछले तीन वर्षों के दौरान हुये उत्पादन का ब्यौरा क्या है ;

(घ) कम उत्पादन और कारखाना बन्द रहने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या सरकार संसदीय समिति में अथवा केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इसकी जांच-पड़ताल करायेगी यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरण गोगोई) : (क) मांडन फूड इंडस्ट्रीज (इं०) लि०, ब्रेड, दूध, केक, उर्जा खाद्य, एक्सट्रैक्ट फूड और फल रस बनाती है।

(ख) ब्यूरो कृपया विवरण I पर देखें (नीचे देखिए)

(ग) ब्यूरो कृपया विवरण-II और III पर देखें (नीचे देखिए)।

(घ) जहां तक कंपनी के बेकरी कार्यों का संबंध है बाजार में अधिक प्रतियोगिता और सरकारी एजेंसियों द्वारा कम मांग किए जाने के कारण कुछ यूनिटों में कम उत्पादन हुआ है। पिछले तीन सालों के दौरान कंपनी की किसी भी यूनिट में तालाबंदी नहीं हुई। कंपनी ने अपनी उच्चजैन यूनिट को कम उत्पादन, जल्द से अधिक कर्मचारियों, श्रमिक समस्याओं, संयंत्रको कम और गैर किफायती क्षमता तथा संयंत्र और मशीनरी के अप्रचालित होने के कारण 1-4-94 से बन्द क र दिया। पिछले तीन वर्षों के दौरान नै किफायती व्यवहायता और श्रमिक समस्याओं के कारण भागलपुर स्थित फल गुदा यूनिट में कोई उत्पादन नहीं हुआ यूनिट में 5-6-90 से 17-10-93 तक